



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082023-247922
CG-DL-E-08082023-247922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3388]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 3388]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

का.आ. 3540(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आर एफ एस एल), सूरत, गुजरात को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[फा. सं. 2(3)/2021-सी. एस. डी]

श्री भुवनेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2023

S.O. 3540(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies Regional Forensic Science Laboratory (RFSL), Surat, Gujarat as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. 2(3)/2021-CSD]

SHRI BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.